तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरकार बनाम महेंद्र गुर्जर, सेशन प्रकरण संख्या ***358/2017*** सीआईएस नं. 401/***2017***	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
16-09-2025	एसपीपी उपस्थित। अभियुक्त महेंद्र का जारीशुदा गिरफ्तारी वारंट अदम तामील आया है। अभियुक्त महेंद्र को गिरफ्तारी वारंट से दिनांक 22.09.2021 से लगातार तलब किया जा रहा है, जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट मुताबिक अभियुक्त स्थायी सकूनत पर नही रह रहा है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के समुचित प्रयास किये गये है। अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से अपनी स्थायी सकूनत से फरार है तथा अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की संभावना भी नजर नही आती है। प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त **महेद्रं गुर्जर पुत्र रंगलाल निवासी कुण्डी थाना छबड़ा जिला बारां (राज.)** को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त महेंद्र के विरूद्व स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। साथ ही अभियुक्त की 82—83 सीआरपीसी की कार्यवाही पृथक् से खोली जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां को निर्देशित किया जाता है कि स्थायी गिरफ्तारी वारंट की फोटोप्रति पर दर्ज क्रमांक का अंकन कर आवश्यक रूप से न्यायालय भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/जजा(अ0नि0)प्रकरण, बारां(राज0)**	